



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04.09.2024

थाना बाबरी व थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 04.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी व थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. राहुल पुत्र मांगेराम निवासी कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।
2. शौकीन पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडीयान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
3. पप्पू पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडीयान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
4. सोनू पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडीयान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।





प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 5800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2002 में अभियुक्त नीटू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 381/2002 धारा 325/427/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय में बैठने हेतु नियत अवधि में दण्डित किया गया व धारा 325 भादवि में 500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 300/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 427 भादवि में 200/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदान करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.सत्यपाल पुत्र महेन्द्र 2.मेघराज उर्फ बेगराम पुत्र महेन्द्र 3.पवन पुत्र प्रेम सिंह निवासीगण घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 95/1996 धारा 147/148/323/324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तक की सजा व धारा 324 भादवि में प्रत्येक पर 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में प्रत्येक पर 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में प्रत्येक पर 200-200/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 147/148 भादवि में

प्रत्येक पर 200-200/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण

- 1.नीटू पुत्र इन्द्रपाल निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामिली ।
- 2.सत्यपाल पुत्र महेन्द्र निवासी घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 3.मेघराज उर्फ बेगराम पुत्र महेन्द्र निवासी घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 4.पवन पुत्र प्रेम सिंह निवासी घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामिली ।